

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/पी-113/13819/2023/367 दिनांक:- 28/8/2023
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली।

विषय:-श्रीमती पुष्पा कुमारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सादडी के आदेशो की प्रतिक्षा अवधि के वेतन आहरण के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्रांक 140 दिनांक 19.06.2022 एवं कार्मिका द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी, वरिष्ठ नर्सिंग
अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादडी ने आदेशो की प्रतिक्षा अवधि के दिनांक 24.08.2022 से
29.09.2022 तक का वेतन आहरण आज दिवस तक आहरित नहीं किये जाने से अवगत कराया
गया है। जबकि निदेशालय के आदेश क्रमांक 817 दिनांक 13.12.2022 के क्रम संख्या
82 एवं क्रमांक 102 दिनांक 31.03.2023 के क्रम संख्या 60 पर अकिंतानुसार कार्मिका के आदेशो
की प्रतिक्षा अवधि का नियमन किया जा चुका है।

विभाग में अधिशेष कार्मिको के लिये निदेशालय के पत्रांक 140 दिनांक 19.06.2022 के द्वारा
सभी संबंधित नियन्त्रक अधिकारीयो को निर्देश प्रदान किये जा चुके है। परन्तु कार्मिका के उक्त
अवधि का वेतन आज दिवस तक आहरण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे है, से अवगत कराते
हुए अविलम्ब कार्मिका द्वारा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के आधार पर
नियमानुसार वेतन आहरण कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करावे।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/पी-113/13819/2023/367 दिनांक:- 28/8/2023

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादडी जिला पाली को प्रेषित कर लेख है कि
कार्मिका का अधिशेष अवधि का वेतन आहरण नहीं किये जाने के संबंध में पूर्ण वस्तुस्थिति से
अविलम्ब अवगत करावे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर